

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District:** STATE VIG. BUREAU PS: SVB Hisar **Year:** 2013 **FIR No:** 43 **Date:** 27.9.13

2. **Act(s):** **Section(s)**
(i) IPC 1860 409/420/467/468/471/120B
(ii)
(iii)
(iv)

3. **Occurrence of Offence:**

(a) **Day:** Firday **Date From:** 27.9.13 **Date To:** 27.9.13
Time Period: **Time From:** **Time To:** 14.30
(b) **Information received at P.S:** **Date:** : 27.9.13 **Time** 14.30
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.:** 08 **Time:**

4. **Type of Information:** WRITTEN

5. **Place of Occurrence:**

(a) **Direction and Distance from P.S.:** South West 80 KM **Beat No.:** 4
(b) **Address:** Bhiwani
(c) **In case, Outside the limit of the Police Station:**
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant:**

(a) **Name:** . Gian Singh INSP. SVB HSR
(b) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(c) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(d) **Occupation:**
(e) **Address:** SVB HSR
(f)
(g) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. **Birbal Choudhary EX DEO BWN and Others**

8. **Reason for delay in reporting by the complainant/informant:**

9. **Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):**

Sl.No.	Property Type (Description)	Est. Value (Rs.)	Status
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. **Total value of property stolen:**

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):

श्रीमान जी निवेदन है कि जांच न० 1 दिनांक 30.1.2012 भिवानी विरुध बीरबल चौधरी पूर्व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी व अन्य मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के यादि क्रमांक 63/43/2011-1 चौकसी(ii) दिनांक 17.1.2012 की अनुपालना मे वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पचंकुला के कार्यालय पत्र क्रमांक 1151/1-3 एस.वी.बी.(ह) दिनांक 20.1.2012 आसुचना रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर होकर रजिस्टर की गई थी जो एस.पी. राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार के कार्यालय से प्राप्त हुई थी जिसमे आरोप था कि बीरबल चौधरी पूर्व मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी ने जिला भिवानी ने प्राथमिक स्कूलो के लिए अग्नि शमन यन्त्रो की खरीद मे काफी धाधंली की गई है । जिसकी पडताल श्री महाबीर सिंह उप पुलिस अधीक्षक ,उप निरीक्षक महेन्द्र पाल , निरीक्षक महेन्द्र सिंह वा निरीक्षक अजायब सिंह द्वारा की गई थी । जिसमे पाया गया था कि बीरबल चौधरी पूर्व मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी ने प्राईमरी स्कूलो का दौरा खण्ड वाईज दिनांक 2.10.2010 से 30.11.2011 तक सरकारी लाग बुक के आधार पर किये और हर एक स्कूल मे हैडमास्टर/ मुख्यअध्यापिका को माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार अग्नि शमन यन्त्र खरीदने के लिए मौखिक आदेश दिये और उनके स्कूलो के फंड का निरीक्षण किया और मौखिक आदेश दिये कि मैं अग्नि शमन यन्त्र खरीद कर आपके पास भिजवाउगा और आप यन्त्र पहचाने वाले से कुटेशन व बिल प्राप्त करके बिल अनुसार जो राशि है व अदा कर देना । बीरबल चौधरी पूर्व मौलिक शिक्षा अधिकारी भिवानी ने जिला जिला भिवानी मे प्राईमरी स्कूलो मे ईश्वर पुत्र रामानन्द जाति ब्रहामण निवासी शेखपुरा तहसील गनौर जिला सोनीपत मालिक मारुति वैन एच.आर42ए-0330 के साथ मिलकर जिला भिवानी के खण्ड भिवानी मे 9 स्कूलो मे 26 यन्त्र मुबलिक 102382/- रु० खण्ड बवानी खेडा के 8 स्कूलो मे 22 यन्त्र कुल 85800/- रु०, खण्ड बाढडा के 40 स्कूलो मे 98 यन्त्र कुल 386785/- रु०, खण्ड बाँदकला के 20 स्कूलो मे 58 यन्त्र कुल 235038/- रु०, खण्ड चरखी दादरी के 6 स्कूलो मे 14 यन्त्र कुल 54600 रु०, खण्ड तोशाम के 10 स्कूलो मे 28 यन्त्र 111655/- रु० ,खण्ड करु के 6 स्कूलो 14 यन्त्र 56566/- रु० , खण्ड लोहारु के 4 स्कूलो मे 10 यन्त्र के कुल 40637/- रु० के यन्त्र खरीद कर ईश्वर सिंह के मार्फत बिल व कुटेशन तीन फर्म- 1. K.R. Industries 290 Arya Samaj Road Karol Bag New Delhi 110005 2. Chawla fire Proptection Engineer B-114,DB Gupta Road Pharganj New Delhi-110055 3. Manpreet& Company Fire Equiprment Dealer 639, Gupta carket Sadar Bazar New Delhi-110006 की कुटेशन स्कूलो मे भिजवाई और चावला फर्म के बिल व के.आर फर्म के बिल 3900 वा 4064 रुपये उक्त स्कूलो मे ईश्वर सिंह द्वारा दिये गये और जी.जी.एम.एस. कोट के मुख्य अध्यापक ने यह यन्त्र अपने स्तर पर 2578/- रुपये का जी.एम.एस. कल्लिगा के मुख्य अध्यापक ने यह यन्त्र मुबलिक 2284/- रुपये जी.पी.एस. ढाणी हनुमान के मुख्या अध्यापक ने 2 यन्त्र मुबलिक 5157/- रुपये खरीदे जाने पाये गये है । इस प्रकार बीरबल चौधरी ईश्वर सिंह के साथ मिल कर जिला भिवानी के कुल 103 स्कूलो मे अग्नि शमन के कुल 270 यन्त्र मुबलिक 1082682/- रुपये खरीद कर उक्त स्कूलो मे भिज वाये है और इन की राशि मुख्य अध्यापको द्वारा

अदा कराई गई है । जब कि यह यन्त्र उक्त 3 स्कूलों द्वारा खरीद किये गये यन्त्रों की तुलना में बीरबल चौधरी द्वारा खरीद किये गये यन्त्रों की राशि में काफी अन्तर होना पाया गया है । 3 स्कूलों में निजी तौर पर खरीदे गये यन्त्रों की औसतन किंमत 2579/- रुपये बनती है । इस प्रकार एक यन्त्र में लगभग 1321/- वा 1485/- रुपये का अन्तर आता है । इस प्रकार बीरबल चौधरी ने ईश्वर सिंह की मारफत 270 यन्त्र मुबलिक 1082682/- रुपये में खरीदे हैं जबकि इन यन्त्रों की वास्तविक किंमत 696330/- बनती है । इस प्रकार बीरबल चौधरी ने ईश्वर सिंह के साथ मिलकर 376333/- रुपये की हानि पहुंचाई है ईश्वर सिंह द्वारा स्कूलों में दी गई कुटेशन वा बिलों की जांच उक्त तीनों फर्मों से कि गई जिसमें के.आर.एस.फर्म व मनप्रीत फर्म का कोई अतापता होना नहीं पाया गया तथा चावला फर्म की तस्दीक की गई जो बिलों व कुटेशन पर लिखा गया पता गलत है जो चावला फर्म का पता Bhanot plaza D.B. Gupta Road Pharganj New Delhi 110055 का होना पाया गया है इस फर्म द्वारा दी गये बिल व कुटेशन को फर्म के मालिक औमप्रकाश चावला को दिखाया गया जिसने बिल व कुटेशन देखकर बताया कि यह बिल व कुटेशन उनकी फर्म द्वारा जारी नहीं किये गये । इस प्रकार बीरबल चौधरी डी.ई.ओ. भिवानी ने ईश्वर सिंह मारुति मालिक के साथ मिलकर झूठे बिल व कुटेशन तैयार की और 376333 रुपये का गबन करके अपराध जैर धारा 409,420,467,468,471,120 B IPC का किया है जिस पर मुकदमा दर्ज करने की सिफारिस की रिपोर्ट अजायब सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो यूनिट भिवानी पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार वा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला को प्रस्तुत की जो कि महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो के पत्र क्रमांक 9304/रा०चौ०ब्यूरो पंचकुला दिनांक 18.6.13 के अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को भिजवाई जो यह अब जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 63/43/2011-1 चौकसी ii दिनांक 23.8.2013 के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के आदेश मारफत महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) पंचकुला के पत्र क्रमांक 22460/1-3/svb (H) PKL Dated 29.8.13 को पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार के कार्यालय में प्राप्त हुई है । जो आदेश अनुसार जांच न०1 दिनांक 30.1.2012 भिवानी की अन्तिम रिपोर्ट हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार मुकदमा वा जुर्म 409,420,467,468,471,120 B IPC पुलिस स्टेशन राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर मिशल मुकदमा हजा मय आमदा रिकार्ड चार फाईल वा आदेश मुख्य सचिव आगामी तफतीश हेतु हवाले श्री राम निरीक्षक के किया जा रहा है । नकुलात FIR अफसरान बालान की सेवा में भेजी जा रही है sd हिन्दी ज्ञान सिंह एस.एच.ओ./निरीक्षक , राज्य चौकसी ब्यूरो (ह) हिसार मण्डल हिसार ।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

- (i) Registered the case and took up the investigation
(ii) Directed (Name of the I.O.): Shree Ram

OR

No.: 109/HAP

**Rank: Inspector
to take up the investigation, OR**

- (iii) Refused investigation due to:

OR

**(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction:**

District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

**Signature/Thumb Impression
Of The Complainant/Informant:**

**Signature of Officer
Name Gian Singh
Rank Inspector. HAP/25**

15 Date and Time of dispatch to the court: